सत्यमेव जयते

बिहार विधान सभा

की

शून्यकाल समिति

का

100वाँ प्रतिवेदन

स्वास्थ्य विभाग

(बिहार विधान सभा की शून्यकाल समिति द्वारा प्रकाशित)

(दिनांक 28 मार्च, 2023 ई0 को सदन में उपस्थापित)

विषय–सूची

	पृष्ठ
1. शून्यकाल समिति के सदस्यों तथा शून्यकाल समिति शाखा के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची।	क
2. प्राक्कथन	ख
3. प्रतिवेदन	1–8
4. परिशिष्ट	9–36

बिहार विधान सभा की शून्यकाल समिति के सदस्यों की सूची

सभापति

1.	श्री नीतीश मिश्रा	स0वि0स0

सदस्यगण

1.	श्री निरंजन राय	स0वि0स0
2.	श्री लखेन्द्र कुमार रौशन	स0वि0स0
3.	श्री राजेश कुमार सिंह	स0वि0स0
4.	श्री सत्तानंद सम्बुद्ध उर्फ ललन	स0वि0स0
5.	श्री कृष्णामुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया	स0वि0स0
6.	श्री अरूण सिंह	स0वि0स0
7.	श्री आलोक रंजन	स0वि0स0
8.	श्री अचमित ऋषिदेव	स0वि0स0
9.	श्री देवेश कांत सिंह	स0वि0स0
10.	श्री केदार प्रसाद गुप्ता	स0वि0स0

सभा सचिवालय के पदाधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

1.	श्री पवन कुमार पांडेय	प्रभारी सचिव
2.	श्री असीम कुमार	निदेशक
3.	श्री अभय शंकर राय	उप–सचिव
4.	श्री सुधांशु राय	प्रशाखा पदाधिकारी
5.	श्रीमती सुषमा	सहायक
6.	श्रीमती उषा कुमारी	सहायक
7.	श्री संजय भारती	सहायक

प्राक्कथन

मैं, सभापति, शून्यकाल समिति, बिहार विधान सभा, पटना की हैसियत से सप्तदश बिहार विधान सभा में स्वास्थ्य विभाग से संबंधित द्वितीय सत्र के विभिन्न तिथियों में माननीय सदस्य श्री (मो0) इजहार असफी, स0वि0स0, श्री कुमार शैलेन्द्र, स0वि0स0, श्री पवन कुमार यादव, स0वि0स0, श्री मिथिलेश कुमार, स0वि0स0, श्री महानंद सिंह, स0वि0स0, श्री अरूण शंकर प्रसाद, स0वि0स0, श्री अजीत शर्मा, स0वि0स0, श्री अनिल कुमार, स0वि0स0, श्री मुकेश कुमार रौशन, स0वि0स0, श्री अजय कुमार सिंह, स0वि0स0, श्री ललन कुमार, स0वि0स0, श्री सुदामा प्रसाद, स0वि0स0, श्री विद्या सागर केशरी, स0वि0स0, श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, स0वि0स0, श्री विजय कुमार खेमका, स0वि0स0, श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी, स0वि0स0, श्री समीर कुमार महासेठ, स0वि0स0, श्री मुकेश कुमार यादव, स0वि0स0, श्री मनोज कुमार यादव, स0वि0स0, श्री महबूब आलम, स0वि0स0 एवं श्री अजय कुमार, स0वि0स0 द्वारा सदन में लाये गये शून्यकाल सूचनाओं पर शून्यकाल समिति का 100वाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

स्वास्थ्य विभाग से संबंधित ऊपर वर्णित माननीय सदस्यों से प्राप्त शून्यकाल सूचनाओं के निष्पादन में विभागीय पदाधिकारियों ने अपना सहयोग प्रदान किया है।

अंत में प्रतिवेदन तैयार करने में समिति के सभी माननीय सदस्यों, सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों जिन्होंने व्यक्तिगत रूचि लेकर यह कार्य कुशलतापूर्वक सम्पन्न किया है, को भी मैं धन्यवाद देता हूँ।

नीतीश मिश्रा,
सभापति,
शून्यकाल समिति,
बिहार विधान सभा।

प्रतिवेदन

स्वास्थ्य विभाग से संबंधित प्रतिवेदन

सत्रहवीं बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र में स्वास्थ्य विभाग से संबंधित पूछे गये कुल शून्यकाल सूचनाओं की संख्या 68 है। जिसमें से अभीतक 28 माननीय सदस्यों के शून्यकाल सूचनाओं का उत्तर बिहार विधान सभा को प्राप्त हुआ है। शून्यकाल समिति की समीक्षा बैठकों में कुल 28 शून्यकाल सूचनाओं के उत्तर को कार्यान्वित माना गया है। जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है :—

क्रम सं0।	माननीय सदस्यों के नाम।	शून्यकाल के विषय	सदन में उपस्थापन की तिथि।	विभाग को भेजे गये पत्रांक।	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक, दिनांक।
1	मो0 इजहार असफी	कोचाधामन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा मिला है। परन्तु चिकित्सा सुविधा के नाम पर कोई सुधार नहीं है। टेक्नीशियन नहीं होने के कारण एक्स–रे मशीन भी संचालित नहीं है। चिकित्सा सुविधा में सुधार के साथ टेक्नीशियन की नियुक्ति की माँग के संबंध में।	9 मार्च, 2021	स्वास्थ्य विभाग 13121–1025 19 मार्च, 2021	ज्ञापांक 607 (4), दिनांक 22 जुलाई, 2021 के द्वारा उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट–1)
2	श्री कुमार शैलेन्द्र	बिहपुर विधान सभा के नारायणपुर प्रखंड में तीस शैय्या वाला सामुदायिक अस्पताल बनवाने की माँग के संबंध में।	19 मार्च, 2021	स्वास्थ्य विभाग 20/21–1308 9 अप्रील, 2021	ज्ञापांक 643 (10), दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 के द्वारा उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट–2)
3	श्री पवन कुमार यादव	भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगाँव अनुमंडलीय अस्पताल में आये दिन लोगों की जरूरत को देखते हुये शव वाहन दिये जाने की माँग के संबंध में।	24 मार्च, 2021	स्वास्थ्य विभाग 22/21–1543 3 जून, 2021	ज्ञाप संख्या 705 (12), दिनांक 18 मई, 2022 के द्वारा उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट–3)
4	श्री मिथिलेश कुमार	सीतामढ़ी जिला में कोविड 19 के प्रभाव तक, जिला पदाधिकारी एवं जिला सिविल सर्जन को स्वविवेक से सुविधानुसार जनहित में नर्स एवं सरकारी कर्मी के प्रतिनियोजन (डेपुटेशन) का अधिकार सरकार द्वारा प्रदत्त किये जाने के संबंध में।	24 मार्च, 2021	स्वास्थ्य विभाग 22/21–1542 3 जून, 2021	ज्ञाप संख्या 1308(6), दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 के द्वारा उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट–4)

क्रम सं0।	माननीय सदस्यों के नाम।	शून्यकाल के विषय	सदन में उपस्थापन की तिथि।	विभाग को भेजे गये पत्रांक।	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक, दिनांक।
5	श्री महानन्द सिंह	अरवल जिला के बेलखारा में जीर्ण–शीर्ण उप–स्वास्थ्य केन्द्र को जीर्णोद्धार कर इलाज शुरू करने की माँग के संबंध में।	24 मार्च, 2021	स्वास्थ्य विभाग 22/21–1545 3 जून, 2021	स्वास्थ्य विभाग के ज्ञाप संख्या 109(10), दिनांक 20 मई, 2022 के द्वारा उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट–5)
6	श्री अरूण शंकर प्रसाद	जयनगर के स्वास्थ्य केन्द्र वैरा का भवन जर्जर है, जबकि स्वास्थ्य उप–केन्द्र को 12 कट्ठा जमीन उपलब्ध है। भवन निर्माण कराकर स्वास्थ्य सुविधा बहाल कराने की माँग के संबंध में।	23 मार्च, 2021	स्वास्थ्य विभाग/ भवन निर्माण विभाग 21/21–1483 28 अप्रील, 2021	ज्ञाप संख्या 471(10), दिनांक 26 अक्टूबर, 2021 के द्वारा उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट–6)
7	श्री महानन्द सिंह	अरवल में साधन सम्पन्न एम्बुलेंस की माँग के संबंध में।	23 मार्च, 2021	स्वास्थ्य विभाग 21/21–1482 28 अप्रील, 2021	ज्ञाप संख्या 966 (12), दिनांक 5 नवम्बर, 2021 के द्वारा उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट–7)
8	श्री अजीत शर्मा	रोगी कल्याण समिति, भागलपुर में 13 वर्षों से डाटा इन्ट्री ऑपरेटर कार्यरत हैं उन्हें अभी बाध्य किया जा रहा है कि एम0/एस0 उर्मिला इण्टरनेशनल सर्विसेज प्रा0 लि0, पटना से पंजीकृत हो इससे उनको अतिरिक्त खर्च होगी। उनको पूर्ववत् कार्यरत रहने देने के संबंध में।	23 मार्च, 2021	स्वास्थ्य विभाग 21/21–1481 28 अप्रील, 2021	ज्ञाप संख्या 111(12), दिनांक 8 फरवरी, 2022 के द्वारा उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट–8)
9	श्री कुमार शैलेन्द्र	भागलपुर के नारायणपुर पी0एच0सी0 के अंदर सत्रह स्वास्थ्य उप–केन्द्र है, जिसमें अभीतक चार को ही भवन मिला है, पहाड़पुर में स्वास्थ्य उप–केन्द्र का भवन नहीं बना है। अतः पहाड़पुर सहित बचे हुये नौ स्वास्थ्य उप–केन्द्र का भवन बनाने की माँग के संबंध में।	19 मार्च, 2021	स्वास्थ्य विभाग 20/21–1308 28 अप्रील, 2021	ज्ञापांक 382(10), दिनांक 20 सितम्बर, 2021 के द्वारा उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट–9)

क्रम सं0।	माननीय सदस्यों के नाम।	शून्यकाल के विषय	सदन में उपस्थापन की तिथि।	विभाग को भेजे गये पत्रांक।	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक, दिनांक।
10	श्री अनिल कुमार	बथनाहा विधान सभा अन्तर्गत रेफरल हॉस्पिटल एवं बथनाहा सी0एच0सी0 में आधुनिक मेडिकल उपकरण एवं डॉक्टरों की संख्या बढ़ोतरी की माँग के संबंध में।	19 मार्च, 2021	स्वास्थ्य विभाग 20/21–1311 9 अप्रील, 2021	ज्ञापांक 97(12), दिनांक 7 फरवरी, 2022 के द्वारा उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट–10)
11	श्री अजीत शर्मा	राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा भागलपुर जिलान्तर्गत 80 संविदागत पदों पर नियुक्ति की गई, जिसमें से 71 ने योगदान किया। इसमें 70 बिहार राज्य से बाहर के हैं। यही स्थिति पूरे राज्य की है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पर हुई नियुक्ति की जाँच के संबंध में।	19 मार्च, 2021	स्वास्थ्य विभाग 20/21–1313 9 अप्रील, 2021	ज्ञापांक 1158 (12), दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 के द्वारा उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट–11)
12	श्री मुकेश कुमार रौशन	कोविड महामारी के दौरान कोराना वारियर रूप में अविस्मरणीय काम करने वाले प्रयोगशाला प्रावैधिकी एवं ए0एन0एम0 को मार्च, 2021 से हटाया जा रहा है। हटाने जा रहे उपरोक्त सेवाओं के कर्मियों को विभाग के रिक्त पदों पर समायोजित करने के संबंध में।	18 मार्च, 2021	स्वास्थ्य विभाग 19/21–1375 13 अप्रील, 2021	ज्ञापांक 730 (4), दिनांक 24 अगस्त, 2021 के द्वारा उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट–12)
13	श्री अजय कुमार सिंह	मुंगेर जिला में एक भी चिकित्सा महाविद्यालय नहीं होने के कारण इस जिलान्तर्गत मैं एक चिकित्सा महाविद्यालय की माँग सरकार से करता हूँ।	17 मार्च, 2021	स्वास्थ्य विभाग 18/21–1610 11 जून, 2021	ज्ञापांक 607 (1), दिनांक 4 अक्टूबर, 2021 के द्वारा उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट–13)

क्रम सं0।	माननीय सदस्यों के नाम।	शून्यकाल के विषय	सदन में उपस्थापन की तिथि।	विभाग को भेजे गये पत्रांक।	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक, दिनांक।
14	श्री पवन कुमार यादव	भागलपुर जिलान्तर्गत सन्हौला प्रखंड के गेरूआ नदी के पूर्वी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले 9 पंचायत को ध्यान में रखते हुये जनहित में सनोखर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण कराने के संबंध में।	16 मार्च, 2021	स्वास्थ्य विभाग 17/21–1213 6 अप्रील, 2021	ज्ञापांक 401(10), दिनांक 22 सितम्बर, 2021 के द्वारा उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट–14)
15	श्री ललन कुमार	प्राथमिक उप–स्वास्थ्य केन्द्र ईशीपुर, पीरपैंती, जिला – भागलपुर को उत्क्रमित कर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने की माँग के संबंध में।	15 मार्च, 2021	स्वास्थ्य विभाग 16/21–1079 25 मार्च, 2021	ज्ञापांक 379(10), दिनांक 20 सितम्बर, 2021 के द्वारा उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट–15)
16	श्री सुदामा प्रसाद	भोजपुर जिला के सहार तरारी व पीरो के प्रखंड अस्पतालों में कुत्ता–सियार काटने पर लगने वाले इंजेक्शन की आपूर्ति नहीं होने से गरीबों की भारी मुसीबत है। सरकार शीघ्रातिशीघ्र पर्याप्त इंजेक्शन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के संबंध में।	9 मार्च, 2021	स्वास्थ्य विभाग 13/21–995 19 मार्च, 2021	ज्ञापांक 429(12), दिनांक 3 मई, 2021 के द्वारा उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट–16)
17	श्री विद्या सागर केशरी	अररिया जिलान्तर्गत अनुमंडल अस्पताल फारबिसगंज में बोर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम योजना के तहत सात साल पूर्व से ट्रॉमा सेन्टर की स्वीकृति प्राप्त है विभागीय लापरवाही के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होने से लोग आक्रोशित हैं। ट्रॉमा सेन्टर का जल्द निर्माण कार्य प्रारंभ करने की माँग के संबंध में।	8 मार्च, 2021	स्वास्थ्य विभाग 12/21–976 17 मार्च, 2021	ज्ञापांक 110(12), दिनांक 8 फरवरी, 2022 के द्वारा उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट–17)

क्रम सं0।	माननीय सदस्यों के नाम।	शून्यकाल के विषय	सदन में उपस्थापन की तिथि।	विभाग को भेजे गये पत्रांक।	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक, दिनांक।
18	श्री पवन कुमार यादव	बिहार राज्य के अन्तर्गत आशा कार्यकर्ता एक फैसिलीटेटर को दिये जा रहे पारितोषिक रुपया 1,000 उसके द्वारा प्रसव के वृद्धि एवं शिशुओं के मृत्यु दर में हो रही कमी और कार्यकुशलता को देखते हुये रकम काफी कम होने के संबंध में।	5 मार्च, 2021	स्वास्थ्य विभाग 11/21–925 15 मार्च, 2021	ज्ञापांक 964(12), दिनांक 5 नवम्बर, 2021 के द्वारा उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट–18)
19	श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव।	जहानाबाद जिलान्तर्गत प्रखंड जहानाबाद, ग्राम–अमैन निवासी रामभवन प्रसाद जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रतनी–फरीदपुर जहानाबाद में पुरूष कक्ष सेवक के पद पर कार्यरत थे, उनका निधन सेवा अवधि में दिनांक 11 फरवरी, 2019 को हो गया है। आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति करने की माँग के संबंध में।	4 मार्च, 2021	स्वास्थ्य विभाग 10/21–808 10 मार्च, 2021	ज्ञापांक 322(04), दिनांक 15 मार्च, 2021 के द्वारा उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट–19)
20	श्री विजय कुमार खेमका	पूर्णियाँ जिला में 500 पैथोलॉजी संचालित है जिसमें 172 ही विभाग से रजिस्टर्ड है शेष सभी मानक के विपरीत विभागीय अधिकारी से मिली–भगत कर आम आदमी के जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। बिना रजिस्टर्ड पैथोलॉजी संचालन में संलिप्त अधिकारी तथा संचालक पर कठोर कार्रवाई करने की माँग के संबंध में।	26 फरवरी, 2021	स्वास्थ्य विभाग 06/21–656 5 मार्च, 2021	ज्ञापांक 681(18), दिनांक 9 जुलाई, 2021 के द्वारा उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट–20)

क्रम सं0।	माननीय सदस्यों के नाम।	शून्यकाल के विषय	सदन में उपस्थापन की तिथि।	विभाग को भेजे गये पत्रांक।	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक, दिनांक।
21	श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी।	राजकीय धनवन्तरी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, बक्सर के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को बिना किसी के कारण स्वास्थ्य विभाग के अधिसूचना संख्या 839, दिनांक 29 अगस्त, 2023 द्वारा सेवा मुक्त कर दिया गया है। विभाग अपने स्तर से जाँच कर उक्त कर्मियों को पुनः बहाल कराने की माँग के संबंध में।	25 फरवरी, 2021	स्वास्थ्य विभाग 05/21-556 2 मार्च, 2021	ज्ञापांक 610(आ0चि0), दिनांक 1 जुलाई, 2021 के द्वारा उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट–21)
22	श्री समीर कुमार महासेठ	कुत्ता काटने एवं सर्पदंश की दवा की उपलब्धता सदर अस्पताल, मधुबनी, जो जिलास्तरीय अस्पताल है, में नहीं है, जबकि यह इमरजेंसी दवायें है। इसकी उपलब्धता 24 X 7 होनी चाहिये। कुत्ता काटने एवं सर्पदंश की दवा मधुबनी सदर अस्पताल में उपलब्ध कराने की माँग के संबंध में।	8 मार्च, 2021	स्वास्थ्य विभाग 02/21-509 1 मार्च, 2021	ज्ञापांक 96(12), दिनांक 7 फरवरी, 2022 के द्वारा उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट–22)
23	श्री मुकेश कुमार यादव	सीतामढ़ी जिला प्रखंड बाजपट्टी, ग्राम–हुमायुपुर उप–स्वास्थ्य केन्द्र का भवन खंडहर बन गया है। परिसर आवारा पशुओं का बसेरा बना है, वहाँ स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति खानापूर्ति होता है। फलस्वरूप ग्राम–लोकनाथपुर, रूदौली के लोग प्रभावित है। उप–स्वास्थ्य केन्द्र भवन की माँग के संबंध में।	8 मार्च, 2021	स्वास्थ्य विभाग 12/21-972 17 मार्च, 2021	पत्रांक 582(10), दिनांक 30 नवम्बर, 2021 द्वारा स्मारित। (परिशिष्ट–23)

क्रम सं0।	माननीय सदस्यों के नाम।	शून्यकाल के विषय	सदन में उपस्थापन की तिथि।	विभाग को भेजे गये पत्रांक।	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक, दिनांक।
24	श्री सुदामा प्रसाद	भोजपुर जिला के आरा में स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित की गई वीर कुंवर सिंह, विश्वविद्यालय की 25 एकड़ जमीन को वापस दिलाकर इसकी यू0जी0सी0 मान्यता रद्द होने से बचाने के संबंध में।	8 मार्च, 2021	स्वास्थ्य विभाग 12/21-977 17 मार्च, 2021	ज्ञापांक 608(1), दिनांक 4 अक्टूबर, 2021 के द्वारा उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट-24)
25	श्री मनोज कुमार यादव	पूर्वी चम्पारण जिला के प्रखंड कोटवा के आवासित आमजनता अभीतक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की सुविधा से वंचित है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोटवा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उत्क्रमित करने की माँग के संबंध में।	5 मार्च, 2021	स्वास्थ्य विभाग 11/21-926 15 मार्च, 2021	ज्ञापांक 447(10), दिनांक 1 अक्टूबर, 2021 के द्वारा उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट-25)
26	श्री महबूब आलम	पटना एन0एम0सी0एच0 के छात्र शुभेंदु शेखर की कोरोना से मृत्यु हो गई। इसके पीछे कॉलेज परिसर में नियमों का उल्लंघन कर निजी संस्थान के लिये साक्षात्कार लिये गये। भीड़ से कोरोना छात्रावास तक फैला। सरकारी अधिकारी मामले की लीपापोती कर रहे हैं। उच्च स्तरीय जाँच कराने के संबंध में।	8 मार्च, 2021	स्वास्थ्य विभाग 12/21-971 17 मार्च, 2021	ज्ञापांक 690(11), दिनांक 26 जुलाई, 2021 के द्वारा उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट-26)
27	श्री अजय कुमार	राज्य में कार्यरत आशा, ममता, रसोईया एवं आँगनबाड़ी महिला कर्मियों को आज भी न्यूनतम मानदेय प्राप्त नहीं है और न ही कोई सरकारी सुविधा उपलब्ध है। अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उक्त महिला कर्मियों को सम्मान स्वरूप 21,000 रुपये मानदेय की माँग के संबंध में।	8 मार्च, 2021	स्वास्थ्य विभाग 12/21-975 17 मार्च, 2021	ज्ञापांक 965(12), दिनांक 5 नवम्बर, 2021 के द्वारा उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट-27)

क्रम सं0।	माननीय सदस्यों के नाम।	शून्यकाल के विषय	सदन में उपस्थापन की तिथि।	विभाग को भेजे गये पत्रांक।	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक, दिनांक।
28	श्री ललन कुमार	भागलपुर के पीरपैंती प्रखंडान्तर्गत उप-स्वास्थ्य केन्द्र, एकचारी दियारा के जर्जर भवन का जीर्णोद्धार करते हुये सरकार से वहाँ पर समुचित इलाज की व्यवस्था करने की माँग के संबंध में।	17 मार्च, 2021	स्वास्थ्य विभाग 18/21-1514 3 जून, 2021	ज्ञापांक 381(10), दिनांक 20 सितम्बर, 2021 के द्वारा उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट-28)

तीन वर्षों के बाद भी अभीतक चालीस (40) शून्यकाल सूचनाओं जो द्वितीय सत्र में सदन में पूछे गये हैं उनका उत्तर स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार से अप्राप्त है। इससे परिलक्षित होता है कि विभाग की अभिरूची संसदीय कार्य में कम प्रतीत होता है। इस पर समिति क्षोभ प्रकट करती है तथा इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि बिहार विधान सभा के सत्र काल में शून्यकाल की सूचना देने की कठिन प्रक्रिया का पालन करते हुये माननीय सदस्यों द्वारा सदन में पूछे गये शून्यकाल सूचनाओं का प्रति उत्तर विभाग द्वारा ससमय उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में शून्यकाल के विषय अप्रासंगिक हो जाता है। सदन में उठाये गये शून्यकाल का विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण लोक महत्व का होने के साथ-साथ तात्कालिक होता है। ऐसी स्थिति में समिति भविष्य में विभाग द्वारा ससमय शून्यकाल सूचनाओं का उत्तर बिहार विधान सभा सचिवालय को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा रखती है।

नीतीश मिश्रा,
सभापति,
शून्यकाल समिति,
बिहार विधान सभा, पटना।

परिशिष्ट–I

माननीय श्री (मो0) इजहार असफी, स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल सूचना पर माननीय मंत्री स्वास्थ्य का वक्तव्य।

प्रस्तुत शून्यकाल

माननीय अध्यक्ष महोदय,

"कोचाधामन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा मिला है। परन्तु चिकित्सा सुविधा के नाम पर कोई सुधार नहीं है। टेक्नीशियन नहीं होने के कारण एक्स–रे मशीन भी संचालित नहीं है।

मैं सरकार से चिकित्सा सुविधा में सुधार के साथ टेक्नीशियन की नियुक्ति की माँग करता हूँ।"

शून्यकाल सूचना पर सरकार का वक्तव्य

माननीय अध्यक्ष महोदय,

प्रस्तुत शून्यकाल सूचना के संबंध में सदन को वास्तविक तथ्यों से अवगत कराना चाहता हूँ जो निम्न है :—

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोचाधामन में चिकित्सा पदाधिकारी का स्वीकृत बल 10, कार्यरत बल 3, रिक्ति बल 7 है। एक चिकित्सक अध्ययन अवकाश में है तथा एक चिकित्सक अनधिकृत अनुपस्थित है। अस्पताल में रोगियों का समुचित उपचार किया जाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोचाधामन में सिविल सर्जन, किशनगंज का ज्ञापांक 678, दिनांक 23 फरवरी, 2021 द्वारा सदानन्द कुमार एक्स–रे टेक्नीशियन की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है।

एक्स–रे टेक्नीशियन के 803 (आठ सौ तीन) पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना विभागीय पत्रांक 1133(4), दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, प्रयोगशाला प्रावैधिक 1772, शल्य कक्ष सहायक 1096, ई0सी0जी0 टेक्नीशियन 163 तथा फार्मासिस्ट के 1539 पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना भेजी जा चुकी है। जैसे ही तकनीशियनों का चयन कर सूची स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराई जाती है, उनका शीघ्रता से बिहार अन्तर्गत विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में पदस्थापन कर दिया जायेगा।

इसी प्रकार सामान्य चिकित्सा पदाधिकारियों के 2590 पद तथा विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों के 3706 पद पर चयन हेतु भी अधियाचना प्रेषित की जा चुकी है। जैसे ही चिकित्सा पदाधिकारियों का चयन कर विभाग को उपलब्ध कराया जाता है, उन्हें शीघ्रता से बिहार अन्तर्गत विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में पदस्थापन कर दिया जायेगा।

परिशिष्ट–II

श्री कुमार शैलेन्द्र, मा0स0वि0स0 द्वारा प्रस्तुत किये गये शून्यकाल सूचना संख्या 22/21 का उत्तर प्रतिवेदन।

श्री कुमार शैलेन्द्र––बिहपुर विधान सभा के नारायणपुर प्रखंड में तीस शैय्या वाला सामुदायिक अस्पताल बनवाने की सरकार से माँग करता हूँ।

उत्तर––बिहपुर विधान सभा के अन्तर्गत नारायणपुर प्रखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृत है। कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जायेगा।

परिशिष्ट–III

श्री पवन कुमार यादव, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल सूचना पर माननीय मंत्री स्वास्थ्य का वक्तव्य।

प्रस्तुत शून्यकाल

"भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगाँव अनुमंडलीय अस्पताल में आये दिन लोगों की जरूरत को देखते हुये शव वाहन दिये जाने की माँग करता हूँ।

शून्यकाल पर सरकार का वक्तव्य

राज्य के आमलोगों को शव वाहन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान में कुल 64 शव वाहन टॉल फ्री नम्बर 102 के अन्तर्गत परिचालित है।

इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 1071(12), दिनांक 4 अक्टूबर, 2016 के द्वारा उक्त संदर्भ में निम्नांकित निदेश दिये गये हैं :—

(1) गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले व्यक्तियों एवं दुर्घटनाग्रस्त मामले तथा अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल द्वारा अनुशंसित व्यक्तियों को शव वाहन की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। इससे इतर अन्य मामलों/सेवाओं हेतु शव वाहन की सुविधा विभिन्न स्लैब के अनुरूप भुगतान आधारित है।

(2) उक्त सुविधाओं के अतिरिक्त वैसे सभी गरीब एवं निःसहाय व्यक्ति जिनकी मृत्यु दुर्घटना अथवा स्वास्थ्य संस्थान में हुई हो, पुलिस द्वारा अन्त्यपरीक्षण हेतु लाये गये शवों के उच्चतर/अन्य संस्थानों में अन्त्यपरीक्षण हेतु रेफरल मामले में यदि परिजनों द्वारा शव वाहन की अपेक्षा की जाती है तो अनिवार्य रूप से निःशुल्क शव परिवहन की व्यवस्था पूर्ण संवेदनशीलता के साथ सुनिश्चित की जाय।

(3) शव वाहन के अन्य शव के परिवहन में व्यस्त होने अथवा शव वाहन खराब होने एवं आकस्मिकता की स्थिति में संबंधित सिविल सर्जन, उपाधीक्षक, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी तथा अधीक्षक चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल का यह दायित्व होगा कि शव के परिवहन हेतु अन्य एम्बुलेंस अथवा किराये का वाहन उपलब्ध कराया जाय।

शव परिवहन हेतु इस वैकल्पिक व्यवस्था पर होने वाले व्यय का वहन संबंधित अस्पताल के रोगी कल्याण समिति के कोष से किया जायेगा।

साथ ही राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के पत्रांक 1171, दिनांक 8 जून, 2017 द्वारा निम्नांकित निदेश दिये गये हैं :—

(i) किसी व्यक्ति की मृत्यु अस्पताल में हो जाती है, तो संबंधित अस्पताल के अधीक्षक/उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, मृतक के परिजन से पूछेंगे कि उन्हें शव वाहन की आवश्यकता है या नहीं ? आवश्यकता होने की स्थिति में शव वाहन उपलब्ध कराया जाय अगर परिजन द्वारा शव वाहन की आवश्यकता नहीं बतायी जाती है, तो उक्त परिजन से इससे लिखित रूप में लिया जाय।

(ii) शव सफेद चादर से ही ढक कर ही रखा जाय।

(iii) शव के यदि अन्त्यपरीक्षण की आवश्यकता हो तो अस्पताल परिसर से अन्त्यपरीक्षण कक्ष तक शव ले जाने के लिये भी स्ट्रेचर/ट्रॉली या आवश्यकतानुसार शव वाहन का ही प्रयोग किया जाये।

वर्तमान में भागलपुर जिले में 3 शव वाहन उपलब्ध है। बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना द्वारा 39 शव वाहन का क्रय प्रक्रियाधीन है। क्रय के उपरान्त माँग एवं आवश्यकता के आलोक में जिलों में नया शव वाहन उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जायेगी।

परिशिष्ट–IV

श्री मिथिलेश कुमार, माननीय स0वि0स0 द्वारा सदन में प्रस्तुत शून्यकाल की सूचना

सीतामढ़ी जिला में कोविड 19 के प्रभाव तक जिला पदाधिकारी एवं जिला सिविल सर्जन को स्वविवेक से सुविधानुसार जनहित में नर्स एवं सरकारी कर्मी के प्रतिनियोजन (डेपुटेशन) का अधिकार सरकार द्वारा प्रदत्त किये जाये।

सरकार का वक्तव्य

सीतामढ़ी सहित बिहार के सभी जिलों में कोविड 19 के प्रबंधन हेतु विभिन्न स्तर के स्वास्थ्य कर्मियों का यथा आवश्यक प्रतिनियोजन सक्षम प्राधिकार द्वारा किया जाने का निर्देश निर्गत है।

परिशिष्ट–V

श्री महानन्द सिंह, स0वि0स0 द्वारा प्रस्तुत किये गये शून्यकाल सूचना का उत्तर प्रश्नोत्तर।

श्री महानन्द सिंह—अरवल जिला कि बेलखारा में जीर्ण–शीर्ण उप–स्वास्थ्य केन्द्र को जीर्णोद्धार कर इलाज शुरू करने की माँग करता हूँ।

उत्तर—स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 164(7), दिनांक 2 नवम्बर, 2021 द्वारा राज्य सरकार के द्वारा 243 विधान सभा क्षेत्रों के अन्तर्गत मोडल प्राक्कलन के आधार पर प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 5 स्वास्थ्य उप–केन्द्र एवं 1 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत अरवल जिला के बेलखारा स्वास्थ्य केन्द्र का चयन किया गया है। निविदा निष्पादन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है तथा इसी वित्तीय वर्ष में कार्य प्रारंभ कराने का प्रस्ताव है।

परिशिष्ट–VI

श्री अरूण शंकर प्रसाद, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल सूचना का उत्तर प्रतिवेदन।

श्री अरूण शंकर प्रसाद—जयनगर के स्वास्थ्य केन्द्र, वैरा का भवन जर्जर है, जबकि स्वास्थ्य उप–केन्द्र को 12 कट्ठा जमीन उपलब्ध है। भवन निर्माण कराकर स्वास्थ्य सुविधा बहाल कराने की माँग करता हूँ।

उत्तर—वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी जिलान्तर्गत जयनगर प्रखंड के अन्तर्गत स्वास्थ्य उप–केन्द्र, वैरा के लिये उपलब्ध 12 कट्ठा जमीन पर स्वास्थ्य उप–केन्द्र के भवन का निर्माण करने हेतु BMSICL से अनुरोध किया गया है।

परिशिष्ट–VII

श्री महानन्द सिंह, स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल में पूछा जाने वाला विषय

प्रस्तुत शून्यकाल

अरवल में साधन एम्बुलेंस की माँग करता हूँ।

शून्यकाल पर सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में अरवल जिले में 9 (नौ) BLSA एम्बुलेंस 1 (एक) ALS एम्बुलेंस एवं 1 शव वाहन उपलब्ध है।

बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना द्वारा 250 नये एम्बुलेंस का क्रय प्रक्रियाधीन है। क्रय के उपरान्त Indian Public Health Standards (IPHS) मानक (एक लाख की आबादी हेतु एक एम्बुलेंस) माँग एवं आवश्यकता के आलोक में अरवल जिले को नया एम्बुलेंस उपलब्ध कराने हेतु अपेक्षित कार्रवाई की जायेगी।

परिशिष्ट–VIII

श्री अजीत शर्मा, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल की सूचना पर माननीय मंत्री स्वास्थ्य का वक्तव्य।

प्रस्तुत शून्यकाल

"रोगी कल्याण समिति, भागलपुर में 13 वर्षों से डाटा इन्ट्री ऑपरेटर कार्यरत है, उन्हें अभी बाध्य किया जा रहा है कि एम०/एस० उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज प्रा० लि०, पटना से पंजीकृत हो इससे उनको अतिरिक्त खर्च होगी।

अतः उनको पूर्ववत् कार्यरत रहने देने की कृपा करता हूँ।

शून्यकाल पर सरकार का वक्तव्य

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना का पत्रांक 1187, दिनांक 3 जून, 2020 के आलोक में सिविल सर्जन, भागलपुर के पत्रांक 868, दिनांक 31 जुलाई, 2020 द्वारा उक्त जिले के सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेशित किया गया है कि सभी डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को M/S Urmila International Services Pvt. Ltd., Patna से नियोजित होने के उपरान्त ही संबंधित संस्थान में कार्य सम्पादन करना होगा। इस संबंध में डाटा इन्ट्री ऑपरेटर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका CWJC No. 7250/2020 दायर किया गया। उक्त वाद में पारित आदेश के अनुपालन में पुनः राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के पत्रांक 356, दिनांक 26 अप्रील, 2021 के आलोक में सभी डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को अपने नियोजन संबंधित दावा M/S Urmila International Services Pvt. Ltd., Patna के समक्ष करने का निदेश दिया गया है।

परिशिष्ट–IX

श्री कुमार शैलेन्द्र, स0वि0स0 द्वारा ग्रहण किये गये शून्यकाल सूचना का उत्तर प्रतिवेदन।

श्री कुमार शैलेन्द्र—भागलपुर के नारायणपुर पी0एच0सी0 के अन्दर सत्रह स्वास्थ्य उप–केन्द्र है, जिसमें अभीतक चार को ही भवन मिला है, पहाड़पुर में स्वास्थ्य उप–केन्द्र का भवन नहीं बना है।

अतः पहाड़पुर सहित बचे हुये नौ स्वास्थ्य उप–केन्द्र का भवन बनाने की माँग सरकार से करता हूँ।

उत्तर—वस्तुस्थिति यह है कि आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय फेज 2 के तहत कार्य योजना तैयार की जा रही है।

अगले वित्तीय वर्ष में राशि एवं भूमि की उपलब्धता के अनुरूप चरणवार निर्माण कराया जायेगा।

परिशिष्ट–X

श्री अनिल कुमार, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल सूचना पर माननीय मंत्री स्वास्थ्य का वक्तव्य।

प्रस्तुत शून्यकाल

"बथनाहा विधान सभा अन्तर्गत मेजरगंज रेफरल हॉस्पिटल एवं बथनाहा सी०एच०सी० में आधुनिक मेडिकल उपकरण एवं डॉक्टरों की संख्या बढ़ोतरी की माँग करता हूँ।

शून्यकाल पर सरकार का वक्तव्य

वर्तमान में रेफरल अस्पताल, मेजरगंज में एक सामान्य चिकित्सक (नियमित) तथा एक सामान्य चिकित्सक (संविदा, कोविड) कार्यरत है। उक्त अस्पताल में माइक्रोस्कोप, सेमी ऑटो एनेलाइजर, सी०बी०सी० मशीन, सेन्ट्रीफ्यूज मशीन, ऑटोक्लैव, ऑक्सीजन सिलेन्डर, ऑक्सीजन कन्सेनट्रेटर एवं डिजिटल एक्स–रे उपकरण उपलब्ध है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बथनाहा में दो सामान्य चिकित्सक; एक सामान्य चिकित्सक (कोविड), दो आयुष चिकित्सक एवं चार आयुष चिकित्सक (RBSK) कार्यरत हैं। उक्त केन्द्र में माइक्रोस्कोप, सेमी ऑटो एनेलाइजर, सी०बी०सी० मशीन, सेन्ट्रीफ्यूज मशीन, ऑटोक्लैव मशीन, ऑक्सीजन कन्सेन्ट्रेटर एवं एक्स–रे उपकरण उपलब्ध है।

परिशिष्ट–XI

श्री अजीत शर्मा, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल सूचना में पूछा जाने वाला विषय।

प्रस्तुत शून्यकाल

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा भागलपुर जिलान्तर्गत 80 संविदागत पदों पर नियुक्ति की गई, जिसमें से 71 ने योगदान किया। इसमें 70 बिहार राज्य से बाहर के हैं। यही स्थिति पूरे राज्य की है।

कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पर हुई नियुक्ति की जाँच की जाये।

शून्यकाल पर सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार मुख्य रूप से भारत सरकार के स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रमों को भारत सरकार द्वारा विहित दिशा–निर्देश के तहत कार्यान्वित करती है। भारत सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों को न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य उप–केन्द्रों को मार्च 2022–23 तक Health & Wellness Centre में विकसित करने की योजना है। देश में चिकित्सकों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है। B.Sc. Nursing/GNM के चयनित अभ्यर्थियों को IGNOU के माध्यम से छः माह का Certificate in Community Health Course में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को Health & Wellness Centre में संविदागत Community Health Officer के पद पर नियोजित किया जाता है।

Community Health Officer के संविदागत पद पर नियोजन हेतु भारत के सुयोग्य नागरिकों से नियोजन हेतु विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं तथा विहित प्रक्रिया तथा राज्य में लागू आरक्षण प्रावधानों के तहत योग्य तथा मेधा क्रम के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। अभ्यर्थियों का चयन राज्य विशेष पर नहीं बल्कि राज्य अथवा अन्य राज्यों के ऑनलाइन Computer Based Test तथा Document Verification में उत्तीर्ण एवं योग्य पाये गये अभ्यर्थियों के आधार पर किया गया है और इनमें से IGNOU के माध्यम से उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को Community Health Officer के पद पर नियोजित किया जाता है।

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के आदेश संख्या 7160, 7161, दिनांक 7 जनवरी, 2021 एवं 7840, दिनांक 1 फरवरी, 2021 द्वारा केवल भागलपुर जिला में 81 का नियोजन नहीं किया गया है बल्कि सत्र जुलाई, 2019 एवं जनवरी, 2020 में IGNOU से उत्तीर्ण कुल 615 अभ्यर्थियों को नियोजित करते हुये विभिन्न जिला स्वास्थ्य समितियों में पदस्थापित किया गया है। इन नियोजनों में केवल अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को आरक्षण की सुविधा नहीं दी जाती है। अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में चयन किया गया है। इसके उपरान्त भी विज्ञाप्ति पद रिक्त रह जा रहे हैं।

परिशिष्ट–XII

माननीय श्री मुकेश कुमार रौशन, स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल सूचना पर माननीय मंत्री स्वास्थ्य का वक्तव्य।

प्रस्तुत शून्यकाल

माननीय अध्यक्ष महोदय,

"कोविड महामारी के दौरान कोरोना वारियर रूप में अविस्मरणीय काम करने वाले प्रयोगशाला प्रावैधिकी एवं ए0एन0एम0 को मार्च, 2021 से हटाया जा रहा है। हटाये जा रहे उपरोक्त सेवाओं के कर्मियों को विभाग के रिक्त पदों पर समायोजित करने हेतु सूचना दे रहा हूँ।"

शून्यकाल सूचना पर सरकार का वक्तव्य

माननीय अध्यक्ष महोदय,

प्रस्तुत शून्यकाल सूचना के संबंध में सदन को वास्तविक तथ्यों से अवगत कराना चाहता हूँ जो निम्न है :—

"भारत सरकार के पत्रांक D.O. No.-Z-18-10/NHM-1/Part , दिनांक 21 मार्च, 2020 में निहित निदेश के आलोक में कोरोना वायरस (COVID 19) को नियंत्रित करने के उद्देश्य से नैदानिक सेवायें (Clinical Services) को और मजबूती प्रदान करने हेतु अल्पावधि 3 से 6 माह के लिये अतिरिक्त मानव बल यथा चिकित्सक, नर्स, लैब तकनीशियन, ए0एन0एम0 को रखा गया, जिसका मासिक भुगतान भारत सरकार द्वारा NHM के Emergency COVID Response Fund (Temporary HR for COVID 19) के तहत उपलब्ध कराये गये राशि से किया जा रहा है। राज्य में कोरोना वायरस (COVID 19) के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर उक्त मानव बल की सेवावधि माह सितम्बर, 2021 तक विस्तारित की गई है। NHM अन्तर्गत उनके समायोजन का कोई प्रावधान नहीं है।"

परिशिष्ट–XIII

दिनांक 17 मार्च, 2021 को बिहार विधान सभा में श्री अजय कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल की सूचना संख्या 18/2021 ।

शून्यकाल

मुंगेर जिला में एक भी चिकित्सा महाविद्यालय नहीं होने के कारण इस जिलान्तर्गत मैं एक चिकित्सा महाविद्यालय की माँग सरकार से करता हूँ।

सरकार का वक्तव्य

माननीय अध्यक्ष महोदय,

वस्तुस्थिति यह है कि मुंगेर जिला के निकटवर्ती जिलों यथा भागलपुर में चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल संचालित है तथा बेगूसराय एवं जमुई में चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के निर्माण की योजना स्वीकृत है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सम्प्रति मुंगेर जिला में चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के निर्माण का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट–XIV

श्री पवन कुमार यादव, स०वि०स० द्वारा ग्रहण किये गये शून्यकाल सूचना का उत्तर प्रतिवेदन।

श्री पवन कुमार यादव—भागलपुर जिलान्तर्गत सन्हौला प्रखंड के गेरूआ नदी के पूर्वी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले 9 पंचायत को ध्यान में रखते हुये जनहित में सनोखर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण की माँग करता हूँ।

उत्तर—वस्तुस्थिति यह है कि भागलपुर जिलान्तर्गत सन्हौला प्रखंड में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सनोखर स्थित है, जिनके द्वारा आमजनों को चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रखंड स्तर पर होता है।

परिशिष्ट–XV

श्री ललन कुमार, स०वि०स० द्वारा ग्रहण किये गये शून्यकाल सूचना का उत्तर प्रतिवेदन।

श्री ललन कुमार—प्राथमिक उप–स्वास्थ्य केन्द्र, ईशीपुर, पीरपैंती, जिला भागलपुर को उत्क्रमित कर सरकार से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने की माँग करता हूँ।

उत्तर—वस्तुस्थिति यह है कि प्राथमिक उप–स्वास्थ्य केन्द्र, ईशीपुर, पीरपैंती, भागलपुर को उत्क्रमित कर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने की योजना विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट–XVI

श्री सुदामा प्रसाद, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल में पूछा जाने वाला विषय

प्रस्तुत शून्यकाल

भोलपुर जिला के सहार, तरारी व पीरो के प्रखंड अस्पतालों में कुत्ता–सियार काटने पर लगने वाले इंजेक्शन की आपूर्ति नहीं होने से गरीबों की भारी मुसीबत है। सरकार शीघ्रताशीघ्र पर्याप्त इंजेक्शन की आपूर्ति सुनिश्चित करावें।

शून्यकाल पर सरकार का वक्तव्य

भोजपुर जिला के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में कुत्ता–सियार काटने का ARV Injection पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में सिविल सर्जन, भोजपुर के अधियाचना के आलोक में 34,200 Vials ARV की आपूर्ति BMSICL द्वारा की गई है।

परिशिष्ट–XVII

श्री विद्या सागर केशरी, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल सूचना पर माननीय मंत्री स्वास्थ्य का वक्तव्य।

प्रस्तुत शून्यकाल

"अररिया जिलान्तर्गत अनुमंडल अस्पताल, फारबिसगंज में बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम योजना के तहत सात साल पूर्व से ट्रॉमा सेन्टर की स्वीकृति प्राप्त है, विभागीय लापरवाही के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होने से लोग आक्रोशित है। ट्रॉमा सेन्टर का जल्द कार्य प्रारंभ हेतु सदन में माँग करता हूँ।

शून्यकाल पर सरकार का वक्तव्य

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 के राज्यांश में स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल 1, अररिया द्वारा अनुमंडलीय अस्पताल, फारबिसगंज परिसर में ट्रॉमा सेन्टर–सह–आई0सी0यू0 के भवन निर्माण हेतु भूमि चिह्नित कर ली गई है। कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन प्रमंडल 1, अररिया को अनुमंडल अस्पताल, फारबिसगंज में चिह्नित भूमि पर आई0सी0यू0–सह–ट्रॉमा सेन्टर निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिया गया है। दिनांक 15 नवम्बर, 2019 को उप–विकास आयुक्त, अररिया की अध्यक्षता में सीमा विकास कार्यक्रम अन्तर्गत वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में अनुमोदित स्वास्थ्य प्रक्षेत्र से संबंधित जिला क्रय समिति की बैठक में फारबिसगंज अनुमंडलीय अस्पताल में आई0सी0यू0–सह–ट्रॉमा सेन्टर में मेडिकल उपकरण एवं अन्य सामग्री हेतु राशि अनुमोदित की गई है। ट्रॉमा सेन्टर का निर्माण शीघ्र प्रारंभ किया जायेगा।

परिशिष्ट–XVIII

श्री पवन कुमार यादव, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल में पूछा जाने वाला विषय।

प्रस्तुत शून्यकाल—बिहार राज्य के अन्तर्गत आशा कार्यकर्ता एक फैसिलीटेटर को दिये जा रहे पारितोषिक रुपया 1,000 उसके द्वारा प्रसव में वृद्धि एवं शिशुओं के मृत्यु दर में हो रही कमी और कार्य कुशलता को देखते हुये रकम काफी कम है।

अतः सरकार से पारितोषिक रकम में वृद्धि करने की माँग करता हूँ।

शून्यकाल पर सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भारत सरकार के अन्तर्गत आशा एक अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, जो समुदाय स्तर पर स्वयं सेविका की भूमिका निभाती है।

आशा का चयन किसी वेतनमान/मानदेय पर नहीं किया जाता है। आशा को उनके द्वारा किये गये कार्य के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत निर्धारित प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

परिशिष्ट–XIX

माननीय श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल सूचना पर माननीय मंत्री स्वास्थ्य का वक्तव्य।

प्रस्तुत शून्यकाल

माननीय अध्यक्ष महोदय,

"जहानाबाद जिलान्तर्गत प्रखंड जहानाबाद ग्राम–अमैन निवासी राम भवन प्रसाद जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रतनी–फरीदपुर जहानाबाद में पुरूष कक्ष सेवक के पद पर कार्यरत थे, उनका निधन सेवा अवधि में दिनांक 11 फरवरी, 2019 को हो गया है।

आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति करने की माँग सरकार से करता हूँ।"

शून्यकाल सूचना पर सरकार का वक्तव्य

माननीय अध्यक्ष महोदय,

प्रस्तुत शून्यकाल सूचना के संबंध में सदन को वास्तविक तथ्यों से अवगत कराना चाहता हूँ जो निम्न है :—

"स्व० राम भवन प्रसाद के पुत्र श्री धनंजय कुमार की अनुकम्पा नियुक्ति का प्रस्ताव सिविल सर्जन, जहानाबाद के पत्रांक 1622, दिनांक 20 अगस्त, 2019 के द्वारा जिला पदाधिकारी, जहानाबाद को भेज दी गई है। अभिलेख जमा करने के पश्चात् जिला अनुकम्पा समिति की बैठक आयोजित नहीं हुई है। जिला अनुकम्पा समिति की अनुशंसा प्राप्त होने पर नियुक्ति कर दी जायेगी।"

परिशिष्ट–XX

श्री विजय कुमार खेमका, स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल की सूचना।

पूर्णियाँ जिला में 500 पैथोलॉजी संचालित है, जिसमें 172 ही विभाग से रजिस्टर्ड है, शेष सभी मानक के विपरीत विभागीय अधिकारी से मिलीभगत कर आम आदमी के जान से खिलवाड़ कर रहे है।

अतः मैं सरकार से बिना रजिस्टर्ड पैथोलॉजी संचालन में संलिप्त अधिकारी तथा संचालक पर कठोर कार्रवाई करने की माँग करता हूँ।

सरकारी वक्तव्य

पूर्णियाँ जिलान्तर्गत 221 पैथोलॉजी है। जिसमें 179 पैथोलॉजी निबंधित है एवं मानक के विपरीत पाये जाने वाले शेष 42 अवैध पैथोलॉजी पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

जिला में संचालित पैथोलॉजी की जाँच लगातार कराई जाती है एवं अवैध पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

परिशिष्ट–XXI

बिहार विधान सभा के सप्तदश सत्र के लिये माननीय सदस्य, श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी, स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल।

संकल्प—राजकीय धनवंतरी आयुर्वेदक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, बक्सर के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को बिना किसी कारण के स्वास्थ्य विभाग के अधिसूचना संख्या 839, दिनांक 29 अगस्त, 2003 द्वारा सेवा मुक्त कर दिया गया है।

अतः विभाग अपने स्तर से जाँच कर उक्त कर्मियों को पुनः बहाल कराने की माँग करता हूँ।

सरकार का वक्तव्य

माननीय सभापति महोदय,

उत्तर अस्वीकारात्मक है। राजकीय श्री धनवंतरी आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, अहिरौली बक्सर का अधिग्रहण बिहार निजी चिकित्सा (भारतीय चिकित्सा पद्धति) महाविद्यालय (ग्रहण), अधिनियम, 1985 की धारा 3 के अन्तर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या 840 (दे०चि०), दिनांक 9 दिसम्बर, 1986 द्वारा दिनांक 1 जून, 1986 के प्रभाव से किया गया था।

उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा 2 के अन्तर्गत उक्त महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकोत्तर कर्मियों के सरकारी सेवा में समायोजन की योग्यता अथवा अयोग्यता की जाँच हेतु स्क्रीनिंग समिति गठित कर कराई गई, जिसमें मुख्यतः तत्कालीन अपर सचिव, श्री अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में विभागीय अधिसूचना संख्या 413 (दे०चि०), दिनांक 12 अप्रील, 1991 द्वारा जाँच कराई गई। पुनः तत्कालीन स्वास्थ्य आयुक्त एवं सचिव, श्री जी० आर० पटवर्धन की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग समिति गठित कर जाँच कराई गई एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में पुनः श्री अशोक कुमार चौधरी, तत्कालीन आयुक्त एवं सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा जाँच कराई गई। स्क्रीनिंग समिति के जाँच प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा विचारोपरान्त अधिसूचना संख्या 838, दिनांक 29 अगस्त, 2003 द्वारा योग्यता के आधार पर 21 (इक्कीस) शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक कर्मी की सेवा समायोजित की गई तथा अधिसूचना संख्या 839, दिनांक 29 अगस्त, 2003 द्वारा 228 (दो सौ अट्ठाईस) कर्मियों को सेवामुक्त कर दिया गया।

अतः विभाग स्तर से उक्त कर्मियों को पुनः बहाल करने का मामला विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट–XXII

श्री समीर कुमार महासेठ, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल सूचना पर माननीय मंत्री स्वास्थ्य का वक्तव्य।

प्रस्तुत शून्यकाल

"कुत्ता काटने एवं सर्पदंश की दवा की उपलब्धता सदर अस्पताल, मधुबनी जो जिलास्तरीय अस्पताल है, में नहीं है, जबकि यह इमरजेंसी दवाएँ हैं। इसकी उपलब्धता 24 x 7 होनी चाहिये।

अतः कुत्ता काटने एवं सर्पदंश की दवा मधुबनी सदर अस्पताल में उपलब्ध कराने की माँग करता हूँ।

शून्यकाल पर सरकार का वक्तव्य

वर्तमान में सदर अस्पताल, मधुबनी में कुत्ता काटने की दवा ए0आर0मी0 360 भायल एवं सर्पदंश की दवा ए0एस0मी0एस0 290 भायल उपलब्ध है।

परिशिष्ट–XXIII

श्री मुकेश कुमार यादव, स0वि0स0 द्वारा प्रस्तुत किये गये शून्यकाल सूचना का उत्तर प्रश्नोत्तर।

श्री मुकेश कुमार यादव—सीतामढ़ी जिला प्रखंड बाजपट्टी, ग्राम–हुमायुंपुर उप–स्वास्थ्य केन्द्र का भवन खंडहर बन गया है। परिसर अवारा पशुओं का बसेरा बना है, वहाँ स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति खानापूर्ति होता है, फलस्वरूप ग्राम–लोकनाथपुर, मदारीपुर, मिर्जापुर, रतवारा, मूरौल, गोपालपुर, रूदौली के लोग प्रभावित है।

उत्तर—स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 164(7), दिनांक 2 नवम्बर, 2021 द्वारा राज्य सरकार के द्वारा 243 विधान सभा क्षेत्रों के अन्तर्गत मोडल प्राक्कलन के आधार पर प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 5 स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 1 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत सीतामढ़ी जिला के बाजपट्टी प्रखंड के हुमायुंपुर स्वास्थ्य उप–केन्द्र का चयन किया गया है। निविदा निष्पादन अंतिम चरण में है।

परिशिष्ट–XXIV

दिनांक 8 मार्च, 2021 को बिहार विधान सभा में श्री सुदामा प्रसाद, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल की सूचना संख्या 12/2021।

शून्यकाल

भोजपुर जिला के आरा में स्वास्थ्य विभाग को हस्तानान्तरित की गई वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय की 25 एकड़ जमीन को वापस दिलाकर सरकार इसकी यू0जी0सी0 की मान्यता रद्द होने से बचावे।

सरकार का वक्तव्य

माननीय अध्यक्ष महोदय,

राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भोजपुर (आरा) के निर्माण हेतु शिक्षा विभाग के अन्तर्गत वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, भोजपुर की 25 एकड़ 14 डिसमिल भूमि स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत कोईलवर मानसिक आरोग्यशाला की 25 एकड़ भूमि के बदलैन से प्राप्त हुआ है। वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, भोजपुर के UGC मानक पर खतरा उत्पन्न होने संबंधी किसी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं है।

परिशिष्ट–XXV

श्री मनोज कुमार यादव, स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल सूचना का उत्तर प्रतिवेदन।

श्री मनोज कुमार यादव—पूर्वी चम्पारण जिला के प्रखंड कोटवा के आवासित आमजनता अभीतक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की सुविधा से वंचित है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोटवा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उत्क्रमित करने की माँग मैं सदन से करता हूँ।

उत्तर—वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोटवा का संचालन 7 कमरा के सामुदायिक भवन संचालित है। यहाँ पर 5 सामान्य चिकित्सक, 5 आयुष चिकित्सक एवं 12 ए0एन0एम0 कार्यरत हैं, जिनके द्वारा चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण हेतु भूमि चिह्नित कर भवन निर्माण की कार्रवाई की जा रही है।

परिशिष्ट–XXVI

माननीय श्री महबुब आलम, स0वि0स0 के द्वारा सदन में प्रस्तुत किये गये शून्यकाल सूचना पर माननीय मंत्री स्वास्थ्य का वक्तव्य।

प्रस्तुत शून्यकाल

माननीय अध्यक्ष महोदय,

"पटना एन0एम0सी0एच0 के छात्र शुभेंदु शेखर की कोरोना से मृत्यु हो गई। इसके पीछे कॉलेज परिसर में नियमों का उल्लंघन कर निजी संस्थान के लिये साक्षात्कार लिये गये। भीड़ से कोरोना छात्रावास तक फैला। सरकारी अधिकारी मामले की लीपापोती कर रहे हैं। उच्चस्तरीय जाँच कराई जाये।"

शून्यकाल सूचना पर सरकार का वक्तव्य

माननीय अध्यक्ष महोदय,

प्रस्तुत शून्यकाल सूचना के संबंध में सदन को वास्तविक तथ्यों से अवगत कराना चाहता हूँ, जो निम्न है :—

एन0एम0सी0एच0, पटना में शुभेंदु शेखर नाम के किसी छात्र की मृत्यु कोरोना से नहीं हुई है। मृत छात्र का सही नाम शुभेन्दु सुभम (नामांकन सत्र 2016) है।

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (BCECE BOARD), बिहार सरकार के आदेश ज्ञापांक (354–2021, दिनांक 15 फरवरी, 2021 एवं पत्रांक 558/2021, दिनांक 13 मार्च, 2021) के अनुपालन में विभिन्न सरकारी अस्पतालों एवं अन्य मान्यता प्राप्त सरकारी एवं गैर–सरकारी संस्थानों के विभिन्न पारा मेडिकल तथा पारा मेडिकल डेन्टल पाठ्यक्रमों की रिक्त सीटों पर Document Verification का कार्य कोविड एप्रोप्रिएट बिहैवियर प्रोटोकॉल (Social Distancing, Mask, Sanitizer एवं अन्य) का पालन करते हुये, कॉलेज के व्याख्यान कक्ष संख्या 1 में किया गया। उक्त व्याख्यान कक्ष से एन0एन0 ब्यॉज हॉस्टल जिसमें शुभेन्दु सुभम को कमरा आवंटित था, की दूरी लगभग 250 मीटर है। उक्त छात्र की मृत्यु कॉलेज परिसर/कॉलेज के अस्पताल (एन0एम0सी0एच0, पटना) में नहीं हुई है। नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना में चिकित्सा की सभी सुविधा उपलब्ध रहने पर भी उक्त छात्र द्वारा अपना इलाज अन्यत्र कराना उचित समझा, जहाँ उसकी मृत्यु हुई। इस पूरे घटनाक्रम में कॉलेज प्रशासन द्वारा कोई लापरवाही नहीं बरती गई है।

परिशिष्ट–XXVII

श्री अजय कुमार, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल में पूछा जाने वाला विषय

प्रस्तुत शून्यकाल

राज्य में कार्यरत आशा, ममता, रसोईया एवं आँगनबाड़ी महिला कर्मियों को आज भी न्यूनतम मानदेय प्राप्त नहीं है और न ही कोई सरकारी सुविधा उपलब्ध है।

मैं सरकार से अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उक्त महिला कर्मियों को सम्मान स्वरूप 21,000 रुपये मानदेय की माँग करता हूँ।

शून्यकाल पर सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भारत सरकार के अन्तर्गत आशा, एक अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, जो समुदाय स्तर पर स्वयं सेविका की भूमिका निभाती है। आशा का चयन किसी वेतनमान/मानदेय पर नहीं किया जाता है। आशा को उनके द्वारा किये गये कार्य के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत निर्धारित प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

राज्य में कार्यरत ममता, रविदास समुदाय की स्वैच्छिक कार्यकर्ता है, जिन्हें प्रति प्रसव 300 रुपया की दर से प्रोत्साहन राशि का भुगतान स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के विशेष अदायगी मद में आवंटित राशि से किया जाता है। अतः इन्हें प्रसव के अनुसार ही प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है।

रसोईया एवं आँगनबाड़ी महिला का पद स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत नहीं आता है।

परिशिष्ट–XXVIII

श्री ललन कुमार, स०वि०स० द्वारा ग्रहण किये गये शून्यकाल सूचना का उत्तर प्रतिवेदन।

श्री ललन कुमार—भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड अन्तर्गत उप–स्वास्थ्य केन्द्र, एकचारी दियारा के जर्जर भवन का जीर्णोद्धार करते हुये सरकार से वहाँ पर समुचित इलाज की व्यवस्था करने की माँग करता हूँ।

उत्तर—वस्तुस्थिति यह है कि आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय फेज 2 के तहत कार्य योजना तैयार की जा रही है। अगले वित्तीय वर्ष में राशि की उपलब्धता के अनुरूप चरणवार निर्माण कराया जायेगा।

बि०स०मु०, 9(एल०ए०), 2023–24–डी०टी०पी०–300

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2023